



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 1420) पटना, बुधवार, 27 अगस्त 2025

सं० सै0क0नि0/21/03/2021—1058
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प
22 मई 2025

विषय:—“ऑपरेशन सिन्दूर” के लिए सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को दी जा रही अनुग्रह अनुदान राशि 21 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की स्वीकृति के संबंध में।

देश की सीमा/आंतरिक सुरक्षा पर सदैव तत्पर रहने, चौकसी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने एवं देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को बनाये रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सशस्त्र सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों का इतिहास सदैव सराहनीय रहा है।

2. “ऑपरेशन सिन्दूर” के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि “ऑपरेशन सिन्दूर” में शहीद {Battle Casualty (Fatal)} होने वाले सशस्त्र सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बिहार राज्य के वैसे पदाधिकारी/कर्मि जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हों, उनके निकटतम आश्रित को 50 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। अनुग्रह अनुदान के संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 2054 दिनांक 04 दिसम्बर 2024 के शेष सभी प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय उप शीर्ष-0002-स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार माँग संख्या-22, विपत्र कोड-22-2052000 920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 37 01 अनुग्रह अनुदान मद से विकलनीय होगा। इस

मद में आवंटित राशि की निकासी सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1420-571+200-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>